

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1887 सन् 2026

बुद्ध सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रवेश कुमार

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अधीन पारित आदेश को चुनौती दी जा रही है।
2. उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (4) के अधीन अपील दायर करने के लिए वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
3. तदनुसार, वैधानिक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

फ़रवरी 6, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"